न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 313/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/560
दायर दिनांक :– 03.10.2025 निर्णय दिनांक :– 26.05.2026

01. जसारमा पुत्र खेताराम निवासी भोजों की बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. मनु पुत्री खेताराम पत्नी देवीलाल निवासी विजयनगर श्रीगंगानगर
03. कनु उर्फ बिरमादेवी पुत्री खेताराम पत्नी टोपनराम निवासी बुटसिगाचक जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. खेताराम पुत्र धुडाराम निवासी भोजों की बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधि.प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम भोजों की बाप चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक बाप तहसील बाप में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 2.4281 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा की पैतृक भूमि थी जो उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाली गई। जबकि प्रार्थीगण के जन्म से ही उक्त वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार है तथा प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होने के कारण प्रत्येक प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा प्रत्येक प्रार्थी का है। प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज थे तथा उसके देहान्त होने के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है तथा प्रार्थीगण पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नहीं की है। उक्त वादग्रस्त भूमि में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को रजास्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम नहीं होने का फायदा उठाते हुए आगे उनके व्यक्तियों को बेचान कर देगा एवं प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देगा। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से साधिकार काबित काश्त करते है तथा प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर हर वर्ष काश्त भी करते आ रहे है चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित प्रार्थीगण के हक हिस्से को इंकार किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास उक्त वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से की घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया है। प्रार्थीगण के हक में सुदृढ प्रथम दृष्टया वाद सिद्व है। सुविधा का

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अवैध अनाधिकृत रूप से बेचान, हस्तान्तरण करने से रेकर्ड में परिवर्तन करने व अजनबी व्यक्तियों को आगे बेचान करने व पक्का निर्माण करने से प्रार्थीगण की पैतृक भूमि कब्जा काश्त में जबरन बेदखल करने सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

सहायक कलेक्टर बाप, जिला जोधपुर (राज.)

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजों की बाप चक–2 पटवार हल्का जोड़ के खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण के वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। जहां किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न का निश्चय करना शेष हो तो वहां प्रथम दृष्टया मामला विवादित संपति की यथास्थिति बनाए रखे जाने में ही होता है। अगर वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण आदि कर देने वादग्रस्त भूमि की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है जिससे वाद बाहुल्यता बढ सकती है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजों की बाप चक–2 पटवार हल्का जोड़ के खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेख जमाबंदी का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण के वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। जहां किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न का निश्चय करना शेष हो तो वहां प्रथम दृष्टया मामला विवादित संपति की यथास्थिति बनाए रखे जाने में ही होता है। यदि दौराने वाद विवादित संपति की यथास्थिति नहीं रखी गई तो मूलवाद के निर्णय तक संपति में हस्तान्तरण व अंतरण हो सकता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि भोजों की बाप चक–2 पटवार हल्का जोड़ के खसरा नम्बर 27 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)